न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 30 / 2022 (जीसीएमएस नम्बर 2022 / 176)

1. झम्मनलाल पुत्र श्री भैरू जाति चमार निवासी सीलगांव भीखावास की ढाणी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
2. रामकला पत्नि ओमप्रकाश पुत्रवधू रामनाथ, जाति अहीर निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
3. संजय पुत्र ओमप्रकाश पौत्र रामनाथ, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।
4. मोहित पुत्र ओमप्रकाश पौत्र रामनाथ, जाति अहीर, निवासी ग्राम साणोली, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

— **अपीलान्ट**

बनाम

1. घीसा पुत्र केसा (मृतक)

1/1. सतपाल

1/2. लालाराम

1/3. मनोहर

1/4. हरी पुत्रान घीसाराम

1/5. कमला पुत्री घीसाराम जाति चमार निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर, जिला अलवर

2. छोटेलाल पुत्र केता जाति चमार निवासी भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

3. सगरू पुत्र केता जाति चमार निवासी भीखावास (मृतक)

3/1.सरबती बेवा सगरू

3/2. बाबूलाल पुत्र सगरू

3/3. रामोतार पुत्र सगरू

3/4. विमला पुत्री सगरू जाति चमार निवासीयान भीखावास तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राजस्थान।

4. तहसीलदार, कम मैनेजिंग आफिसर मुण्डावर, जिला अलवर। (राजस्थान)

— **तरतीबी रेस्पोडेन्टस**

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलेक्टर कम सैटिलमेन्ट कमिश्नर अलवर जिला अलवर निर्णय दिनांक 16.11.2005

उपस्थित—

1. श्री जर्नादन शर्मा, वकील अपीलान्ट ।
2. श्री रामेश्वर दयाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1/4, 2, 3/3, की ओर से
3. श्री रामदयाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3/3 की ओर से
4. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 4

निर्णय

दिनांक —12.08.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलेक्टर कम सैटिलमेन्ट कमिश्नर अलवर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 16.11.2005 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार कम मैनेजिंग ओफिसर मुण्डावर दिनांक 18.01.2003 जिसके द्वारा पूर्व में जारी सनद पट्टा संख्या 730 दिनांक 24.09.1992 यथावत रखने के आदेश पारित किये जाने से व्यथित होकर जिला कलेक्टर कम सैटिलमेन्ट कमिश्नर अलवर जिला अलवर के यहां अपील पेश

की गयी। जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2005 से अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलेक्टर कम सैटिलमेन्ट कमिश्नर अलवर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 16.11.2005 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट झम्मनलाल पुत्र श्री भैरू द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर कम सैटिलमेन्ट कमिश्नर अलवर जिला अलवर के निर्णय दिनांक 16.11.2005 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 776 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीलगांव तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राजस्थान) में स्थित है, जिस पर अपीलन्ट का अरसे दराज से कब्जा चला आ रहा है, उक्त आराजी के संबंध में अपीलान्ट ने पूर्व आदेश दिनांक 22.09.92 के खिलाफ अपील तहत अदालत अपीलीय में दायर की, जो तहत अदालत को रिमाण्ड की गयी, तहत अदालत तहसीलदार कम मैनेजिंग ओफिसर ने पुनः इकतरफा में दिनांक 18.01.2003 को निर्णय पारित कर पूर्व जारी सनद पट्टा संख्या 730 दिनांक 24.09.1992 को बहाल रखने के आदेश पारित किए हैं, जो निर्णय क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर किया गया है, कस्टोडियन भूमि के संबंध में तहसीलदार कम मैनेजिंग ओफिसर को जो कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान की हैं, उनका उपयोग तहसीलदार कम मैनेजिंग ओफिसर ही कर सकता है, अर्थात वो शक्तियां किसी अन्य अधिकारी में तब्दील नहीं की जा सकती हैं। वर्तमान प्रकरण में पीठासीन अधिकारी तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर मुण्डावर जिला अलवर अवकाश पर थे, तथा उनके स्थान पर सब रजिस्ट्रार बनवारीलाल प्रजापत कार्यवाहक तहसीलदार थे, उनको तहसीलदार कम मैनेजिंग ओफिसर की शक्तियां कार्यवाही करने के लिए प्राप्त नहीं थी, और कस्टोडियन भूमि के बारे में कार्यवाहक तहसीलदार को कोई भी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं था, इसलिए तहत अदालत तहसीलदार कम मैनेजिंग ओफिसर मुण्डावर जिला अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.01.2003 क्षेत्राधिकार के बाहर बिना अपीलान्ट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिय पारित किया गया, जो निरस्तनीय है, और प्रथम अपील अपीलान्ट स्वीकार किए जाने योग्य थी व है, परन्तु अपीलीय अदालत तहत ने इस बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया, अन्यथा प्रथम दृष्टया क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार था व है। अपीलीय अदालत कलेक्टर कम सेटिलमेनट कमीशनर द्वारा जो रिमाण्ड आदेश दिनांक 11.2.1999 को पारित किए थे, तहत अदालत कम मैनेजिंग आफिसर द्वारा रिमाण्ड आदेश में दिए गये निर्देशों की पालना नहीं करके एकतरफा में निर्णय पारित किया है, जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने वो बिना अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत पारित किया गया है। हल्का कानूनगों द्वारा दिनांक 30.12.2000 को जो मौका रिपोर्ट आराजी प्रश्नगत की तैयार की गई है, वह अपीलीय तहत अदालत की पत्रावली में भी शामिल है, जिसमें अपीलान्ट का विवादित आराजी खसरा नम्बर 776 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीलगांव पर कब्जा दर्शाया गया है, पत्रावली पर कब्जे का महत्वपूर्ण सबूत खसरा गिरदावरी संवत 2023 लगायत 2033 मौजूद थी, गिरदावर काननूगो द्वारा भी मौके निरीक्षण करने पर अपीलान्ट का कब्जा पाया गया, जो उन्होनें अपनी मौका रिपोर्ट में माना है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबनदी संवत 2048 से 18 साल पहले से अपीलान्ट का कब्जा विवादित आराजी पर होना पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है। कब्जे का महत्वपूर्ण सबूत खसरा गिरदावरी होता है, जमाबन्दी नहीं होता। रेसपोडेन्ट द्वारा कर्मचारियान सेटेलमैन्ट से साज बाज कर जमाबन्दी संवत 2048 में खिलाफ कानून वो मौका गैर खातेदारी का इन्द्राज कराया है, रेसपोडेन्ट का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा किसी भी हैसियत से न तो कभी रहा है

से कम हो तथा दफ्तर दाखिल हो। बाद में वकील प्रार्थी आया। बहस दुबारा करने हेतु अवसर चाहा। न्यायालय में अभद्र व्यवहार किया। निर्णय सुनाया जा चुका। अतः बहस सुनने का औचित्य नहीं है। 12 बजे आया। जिससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार मुण्डावर द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा न ही उक्त बिन्दु पर गौर किया कि अपीलार्थी को तहसीलदार मुण्डावर द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है तथा न ही इस बिन्दु पर भी कोई विवेचन किया गया कि क्या कस्टोडियन लैण्ड आंवटन नियम 1963 के अन्तर्गत तहसीलदार की शक्तियां किसी कार्यवाहक तहसीलदार को प्रत्योयोजित की जा सकती है अथवा नहीं? अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर कम सेटिलमेन्ट कमिश्नर अलवर (राजस्थान) ने तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर की पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.11.2005 पारित करने में कानूनी भूल की है। जबकि अपील का निर्णय करने से पूर्व उभयपक्ष को सुनकर ही प्रकरण निस्तारण किया जाना आवश्यक होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ जिला कलेक्टर कम सेटिलमेन्ट कमिश्नर अलवर (राजस्थान) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2005 तथा तहसीलदार मुण्डावर का निर्णय दिनांक 18.01.2003 को निरस्त किया जाता है उक्तानुसार बिन्दुओं पर जांच कर प्रकरण में उभय पक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निम्न बिन्दुओं पर समग्र विवेचन पश्चात पुनः विधिवत निर्णय पारित किया जावे।

1. कस्टोडियन लैण्ड आंवटन नियम 1963 के अनुसार क्या तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर की शक्तिया कार्यवाहक तहसीलदार को प्रत्योयोजित की जा सकती है अथवा नहीं ?
2. मौका कमिश्नर नियुक्त कर यह सुनिश्चित किया जावे कि क्या जिसके नाम सनद् (पट्टा) जारी किया गया है। उसका विवादित आराजीयात पर कब्जा काश्त है अथवा नहीं ?
3. यदि कब्जा काश्त पाया जाता है तो विधिवत कार्यवाही नियमानुसार की जावे तथा यदि कब्जा काश्त नहीं पाया जाता है तो क्या विवादित आराजीयात की सनद निरस्त की जाकर भूमि की नीलामी कस्टोडियन लैण्ड आंवटन नियम 1963 के नियम 6 के अन्तर्गत की जा सकती है अथवा नहीं या विवादित आराजीयात को राजकीय प्रयोजनार्थ हेतु उपयोग/उपभोग में लिया जा सकता है अथवा नहीं ?
4. यदि आंवटी जिसके नाम सनद जारी की गई है, के अतिरिक्त किसी तृतीय पक्ष का कब्जा काश्त दौराने मौका जॉच पाया जाता है तो बेदखली की कार्यवाही की जाकर विवादित आराजीयात को कब्जे राज लिया जा सकता है अथवा नहीं ?

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर